Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे में आपराधिक न्याय प्रशासन की भूमिका

डॉ. जयश्री तिवारी*

* सहायक प्राध्यापक (विधि) मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – अपराध को कानूनी रूप से संरक्षित हित में व्यवधान के रूप में माना जाता है, अर्थात कानून और व्यवस्था का आपराधिक उल्लंघन, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाना शामिल है। यह चोट शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या वित्तीय रूप में हो सकती है। अपराध और समाज दो शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अनादि काल से अविभाज्य हैं। अपराध रहित समाज के बारे में सोचना एक मिथक होगा क्योंकि मानव सभ्यता अनादि काल से अपराध की समस्या का सामना कर रही है। वास्तव में अपराध समाज की सबसे बड़ी समस्या है जो किसी भी सभ्य देश के स्वस्थ वातावरण को प्रदूषित करती है और मानव सभ्यता के समय की रेत पर अंधकारमय क्षितिज के साथ काले अमिट निशान छोड़ती है। हालाँकि हाल के दिनों में कई देशों में अपराध दर में जबरदस्त बदलाव आया है। एक अपराध बड़ी संख्या में पीड़ितों को शारीरिक, सामाजिक, वित्तीय या भावनात्मक चोट या नुकसान पहुँचाता है, जिसे संबोधित करने की आवश्यकता होती है।

आपराधिक प्रशासन न्याय प्रणाली मुख्य रूप से अपराध और अपराधी पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि पीड़ित पर। अत: विधिक जगत एवं समाज में भूला हुआ व्यक्ति 'पीड़ित' कहलाता है, जिसकी दुर्दशा को सुधारना विधिक व्यवस्था की आवश्यकता है तथा शोधकार्य का उद्देश्य है। अपराध पीड़ितों एवं उनके परिवारों को प्रभावित करता है। पीड़ितों एवं उनके परिवारों पर अपराध का प्रभाव वास्तविक शारीरिक एवं मानसिक घावों से लेकर हल्की-फुल्की पीड़ा तक होता है। पीड़ित निस्संदेह अपराध का अभिन्न अंग है। अपराध की अवधारणा को अपराध के पीड़ित को शामिल किए बिना नहीं समझाया जा सकता। आपराधिक न्याय प्रणाली में अपराध पीड़ित, अपराध का अभिन्न अंग एवं महत्वपूर्ण कारक होने के बावजूद एक भूला हुआ व्यक्ति बना हुआ है, क्योंकि उसकी स्थिति अपराध की रिपोर्ट करने एवं न्यायालय में गवाह के रूप में उपस्थित होने तक सीमित हो गई है तथा उसे न्यायालयों के कानून में नियमित रूप से स्थगन, पुनर्निर्धारण, विलम्ब एवं अन्य कुंठाओं का सामना करना पड़ता है। कानून सामाजिक हितों को नियंत्रित करता है तथा परस्पर विरोधी दावों एवं मांगों का मध्यस्थता करता है। राज्य का आवश्यक कार्य व्यक्ति एवं संपत्ति की सुरक्षा है तथा यह आपराधिक कानून के माध्यम से किया जा सकता है।

हालांकि, अपराध के पीड़ितों के दृष्टिकोण से, आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रशासन आम तौर पर अपर्याप्त रहता है। पीड़ित को आपराधिक न्याय प्रणाली से जो संतुष्टि मिलने की उम्मीद होती है, वह अपराधी को दी जाने वाली सजा है। आधुनिक अपराधशास्त्र की प्रवृत्ति अभियुक्त की कानूनी सहायता, सुधार और पुनर्वास पर केंद्रित है। पीड़ित की चोटें और पीड़ा धीरे-धीरे आपराधिक न्याय प्रणाली की मुख्य चिंता के रूप में अपना स्थान खोती चली गई। आपराधिक न्याय का प्रशासन करते समय राज्य अमूर्त कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ नहीं लड़ता, बल्कि जीवित मानव यानी अपने नागरिकों के असामाजिक कृत्यों के खिलाफ लड़ता है, जो दूसरों को भारी नुकसान और दर्द पहुंचाते हैं। सजा का उद्देश्य केवल अपराधियों को शरण देना और सुधारना नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी नागरिकों को कानून और व्यवस्था की बहाली में भाग लेने में सक्षम बनाना भी होना चाहिए। पीड़ितों के हितों के संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए, यह देखना होगा कि आपराधिक न्याय के प्रशासन को किस तरह से फिर से उन्मुख किया जा सकता है ताकि यह अपराधियों के हाथों पीड़ित पीड़ित को भी पर्याप्त लाभ पहुंचा सके।

पीड़ितों के हितों की रक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है। अपराधी को शरण देना, सुधारना और दंडित करना आपराधिक न्याय प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी नागरिकों को कानून और व्यवस्था की बहाली में भाग लेने में सक्षम बनाने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक न्याय का प्रशासन अपराधी के हाथों पीड़ित पीड़ित को लाभ प्रदान करने की दिशा में फिर से उन्मुख होना चाहिए। हालाँकि, आपराधिक प्रशासन न्याय प्रणाली आज अपराध से संबंधित है। आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य समाज के बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों के जानबूझकर आक्रमण के खिलाफ व्यक्ति और राज्य के अधिकारों की रक्षा करना है। आपराधिक न्याय का उद्देश्य अपराधी को दंडित करना और समाज को अपराधों से बचाना है। दुनिया भर के देशों के अनुभवों से पता चला है कि अपराध पीड़ितों की कई आवश्यकताओं को ऐसे कार्यक्रमों की स्थापना करके प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है जो 'सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, और आपराधिक न्याय और सामाजिक संस्थानों के भीतर पीड़ितों की प्रभावी रूप से मदद करते हैं।' अपराधी चाहे वह दोषसिद्धि, सुधार, उपचार या पुनर्वास हो। मामले के आरंभिक चरण से ही अभियुक्त को विभिन्न लाभ मिलते हैं क्योंकि उसे निर्दोष माना जाता है और सभी उचित संदेहों से परे उसके अपराध को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। ये

लाभ अपराधी के विभिन्न संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को जन्म देते हैं। अभियुक्त के पास मौजूद अधिकारों की बहुतायत में मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत, तलाशी या जब्ती के अधीन न होने का अधिकार, वकील का अधिकार, निर्दोषता का अनुमान, सबूत का मानक, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, सुनवाई में मदद करने का अधिकार शामिल है।

शब्द कुंजी – पीड़ित, मुआवजा, अभियुक्त, आपराधिक न्याय प्रणाली, कानून।

शोध पद्धति– प्रस्तुत शोधपत्र में द्वितीय स्त्रोत का प्रयोग किया गया है जिसमें विधि की पुस्तक, विधि पत्र पत्रिकाओ इंटरनेट, लेख का सहारा लिया गया है।

शोध पत्र का उद्देश्य – आज दुनिया में भारत के विशेष संदर्भ में मुआवजा और सहायता सेवाएँ प्रदान करने के लिए किए गए प्रयासों का विश्लेषण करना, पीड़ित की अवधारणा, उसके अर्थ, पीड़ित होने के लिए जिम्मेदार कारकों और अपराधों के पीड़ितों के प्रकारों के बारे में वैचारिक स्पष्टता प्राप्त करना। विभिन्न न्यायक्षेत्रों में प्रतिपूरक न्यायशास्त्र के तत्वों और पीड़ित सहायता सेवाओं की योजना का अध्ययन करना। मौजूदा कानूनों में समस्याओं और खामियों को इंगित करना। पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए भारत में विशेष उपचारात्मक कानूनों के बारे में अध्ययन करना।भारत में पीड़ितों के मुआवजे और सहायता सेवाओं के बारे में प्रारंभिक और समकालीन न्यायिक सोच और कानूनी तर्क का विश्लेषण करना। पीड़ित विज्ञान की बदलती अवधारणा और इसके उद्भव और महत्व को समझना। भारत में अपराध के पीड़ितों के वंचित और विशेष वर्गों के सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक और आर्थिक उत्थान में मदद करना। पीड़ित मुआवजे के क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रयासों का विश्लेषण करना।आपराधिक कानून के तहत पीड़ित को मुआवजे के प्रावधानों का विश्लेषण करना।समस्याओं पर अंकुश लगाने और पीड़ितों की दुर्दशा को सुधारने के लिए सुझाव देना।

पीड़ित मुआवजा– 'पीड़ित मुआवजा तब होता है जब अपराधी के बजाय राज्य, अपराधी के हाथों हुए नुकसान की भरपाई पीड़ित को करता है।' राज्य मुआवजे की प्रवृत्ति जो हाल के दिनों में बढ़ी है, 'हंसक अपराध के पीड़ितों के मुआवजे पर यूरोपीय सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा बढ़ावा दिया गया है।संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 1985 में उल्लेख किया गया है कि जब भी पीड़ित अपराधी या अन्य स्त्रोत से पूरी तरह से मुआवजा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो राज्य को (ए) उन पीड़ितों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए जिन्हें गंभीर अपराधों के परिणामस्वरूप गंभीर शारीरिक चोट या शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य की हानि हुई है' (बी) परिवार, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के आश्रितों को जो इस तरह के उत्पीड़न के परिणामस्वरूप मर गए हैं या शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गए हैं। पीड़ित मुआवजे की अवधारणा हाल ही की उत्पत्ति नहीं है। उपचार का यह रूप अतीत में कई ऐतिहासिक स्थानों जैसे प्राचीन ग्रीस और रोम, बाइबिल इजराइल, ट्यूटनिक जर्मनी और सैक्सोनी इंग्लैंड में मौजूद था। हालाँकि, विभिन्न कारणों से उपचार के इस रूप ने मध्य युग में अपनी उपयोगिता खो दी। आधुनिक समय में, मुआवजे के दर्शन को कई अनुयायी मिले हैं। जेरेमी बेंथम के लेखन में, मुआवजे के दर्शन को एक अभिव्यक्ति मिली। उन्होंने तर्क दिया कि 'समाज नैतिक रूप से अपराध के शिकार को मुआवजा देने के लिए बाध्य था क्योंकि समाज सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा था।'

पीड़ित सहायता सेवाएँ– पीड़ित सहायता सेवाएँ ऐसी गतिविधियाँ हैं जो पीड़ितों को राहत प्रदान करने और उन्हें ठीक होने में सहायता करने के इरादे से पीड़ितों की प्रतिक्रिया में लागू की जाती हैं। इन गतिविधियों में व्यक्तिगत हस्तक्षेप, सूचना, आकलन, सिस्टम वकालत, केस वकालत, सार्वजनिक नीति और कार्यक्रम विकास की पेशकश शामिल है। अपराध को न केवल कानूनी ढांचे के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है, बल्कि व्यक्तियों, व्यक्तिगत अधिकारों और पूरे समाज के उल्लंघन के रूप में भी देखा जा सकता है। किसी भी स्तर पर हिंसा की रोकथाम को सरकारों का प्राथमिक दायित्व माना जाना चाहिए कि वे जिन व्यक्तियों पर शासन करते हैं उनकी सुरक्षा करें। जब भी सामाजिक सुरक्षा विफल होती है, तो पीड़ितों को सहायता की स्वाभाविक रूप से मांग की जाती है। हिंसा की रोकथाम सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ावा देती है और बनाए रखती है। न्याय प्रणाली का सुधारात्मक मिशन कानून के आदेश को लागू करना और पीड़ितों और सामान्य समुदाय में सुरक्षा और संरक्षा की भावना को बहाल करना होना चाहिए। पीड़ितों के अधिकार और सेवाएँ प्रदान करना, फिर, उन लोगों को मानवीय उपचार देने से कहीं अधिक है जो इसके हकदार हैं, इसे पूरे न्याय उद्यम के आवश्यक घटकों के रूप में देखा जाना चाहिए। जब पीड़ित विज्ञानियों ने 'पीड़ित विज्ञान के सिद्धांत पर चर्चा की और पीड़ित होने के सर्वेक्षण विकसित किए, तो आघात विज्ञान के क्षेत्र में एक समवर्ती विकास हुआ।' यह कार्य व्यक्तिगत और सामाजिक आपदाओं के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर केंद्रित था। वर्ष 1980 में, पोस्ट–ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को मनोरोग नामकरण में एक औपचारिक निदान के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'इस बात पर वैज्ञानिक अध्ययनों का विस्फोट हुआ कि लोग सभी प्रकार के आघात पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से आपराधिक पीड़ित होना शामिल है।' डर आघातग्रस्त होने की एक परिभाषित विशेषता है और इसलिए पीड़ित विज्ञान और आघात विज्ञान दोनों में शोधकर्ताओं ने पीड़ित होने के अध्ययन और प्रभाव में भय की भूमिका पर फिर से विचार करना शुरू किया। प्रारंभ में, उस शोध ने कई नवीन प्रथाओं की उपयोगिता की पुष्टि करने में मदद की जो चिकित्सकों द्वारा अपने कौशल को परिष्कृत करने और इस बारे में अधिक जागरूक होने के लिए नियोजित की जा रही थीं कि आघात में हस्तक्षेप कैसे सफल या असफल हो सकते हैं।

आपराधिक न्याय प्रक्रिया में पीड़ितों की क्या भूमिका है— दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी संज्ञेय अपराध का पीड़ित/सूचनाकर्ता पुलिस अधिकारी को सूचना दे सकता है, जिसे धारा 154 के अनुसार लिखित रूप में इसे दर्ज करना होता है। पीड़ित सूचनाकर्ता को उस पर हस्ताक्षर करने और एफआईआर की एक प्रति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

शोध पद्धति– जैसा कि हमने उद्देश्यों पर चर्चा की है और इसे ध्यान में रखते हुए, वर्तमान शोध अध्ययन सैद्धांतिक पद्धति या शोध की पारंपरिक पद्धति का उपयोग करके किया गया था। इस अध्ययन को पूरा करने के लिए, हमने विभिन्न केस लॉ, लेख, समाचार पत्र, संसद और राज्य विधानमंडलों के अधिनियम, पुस्तकें, कानून रिपोर्ट, पत्रिकाएँ, वेब संदर्भ आदि का अध्ययन करके विषय का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। शोध करते समय प्राथमिक स्रोतों और द्वितीयक स्रोतों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अध्ययन और शोध करने के लिए कानून पुस्तकालय का उपयोग किया जाता है और संबंधित अधिकारियों के पारंपरिक कानूनी संसाधनों का उपयोग किया जाता है। शोध में प्रासंगिक सामग्री प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से एकत्र की जाती है। सामग्री और जानकारी कानूनी स्रोतों जैसे

कानून की किताबें, पत्रिकाएँ और कोर्ट रिपोर्ट आदि से एकत्र की जाती है। अध्ययन का एक आवश्यक हिस्सा वैश्विक स्थिति यानी आपराधिक न्याय का अध्ययन है जिसने अध्ययन को तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक बनाने की गुंजाइश प्रदान की है। शोध के विश्लेषण के आगे के अनुप्रयोग के लिए एक ठोस आधार बनाने के लिए वर्णनात्मक विधि द्वारा भी शोध किया गया है। इस विधि का उपयोग वर्तमान स्थिति और विभिन्न कानूनों और उनकी प्रकृति का वर्णन करने के लिए किया गया है, जिसमें मुख्य ध्यान शोध के विषय से संबंधित आपराधिक कानून पर है। साथ ही, ऊपर बताई गई विधि के निष्कर्षों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का पालन किया गया है।

एंड्रयू कारमेन ने अपनी पुस्तक क्राइम विक्टिम्स एन इंट्रोडक्शन टू विक्टिमोलॉजी में उल्लेख किया है कि पीड़ित की अवधारणा का पता प्राचीन समाजों में लगाया जा सकता है। पीड़ित बलिदान की धारणा से जुड़ा था। अपने मूल अर्थ में, पीड़ित एक व्यक्ति या जानवर था जिसे किसी अलौकिक शक्ति या देवता को खुश करने के लिए धार्मिक समारोह के दौरान मार दिया जाता था। सदियों से पीड़ित शब्द ने अतिरिक्त अर्थ ग्रहण कर लिए हैं। आजकल यह आमतौर पर उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जिन्हें किसी भी कारण से चोट, नुकसान या कठिनाई का सामना करना पड़ा है। अपराध पीड़ितों को अवैध कृत्यों से नुकसान होता है। बर्ट गैलावे और लियोनार्ड रुटमैन ने अपने लेख विक्टिम कम्पेंसेशन: एन एनालिसिस ऑफ सब्सटेंटिव इश्यूज में कहा है कि समकालीन पीड़ित-मुआवजा योजनाओं का पता आम तौर पर मार्गरेट फ्राई से लगाया जाता है जो लंदन में हॉवर्ड लीग ऑफ पेनल रिफॉर्म की सक्रिय सदस्य थीं। भारतीय संदर्भ में, प्रारंभिक वैदिक काल की सभ्यता में आपराधिक कानून पीड़ित को मुआवजा देने के लिए बनाया गया था न कि अपराधी को दंडित करने के लिए। प्राचीन भारत में अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देने की एक अच्छी तरह से विकसित योजना थी। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाया जा सकता है। इसके बाद समय के साथ मुआवजे की संस्था ने अपना प्रभाव खोना शुरू कर दिया क्योंकि पीड़ितों को आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली के भूले हुए लोगों के रूप में माना जाने लगा। 3 नवंबर, 1998 के 'द विक्टिमोलॉजिस्ट' के अंक में के. चोकलिंगम ने अपने लेख पीड़ितों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा के कार्यान्वयन भारत में हाल के घटनाक्रम में उल्लेख किया है।

'प्राचीन समुदायों के दंडात्मक कानून अपराधों के कानून नहीं हैं, यह गलत कामों के कानून हैं। पीड़ित व्यक्ति सामान्य नागरिक कार्रवाई द्वारा किए गए गलत काम के विरुद्ध आगे बढ़ता है और यदि वह सफल होता है तो उसे धन क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजा मिलता है।'

- सर हेनरी जेम्स सुमनर मेन

अपराध के पीड़ित और भारतीय आपराधिक न्याय प्रणालीरू भारत में पीड़ित उन्मुख न्याय प्रणाली का विकास सक्रिय न्यायपालिका का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने, विशेष रूप से 70 और 80 के दशक में, अपराध और सत्ता के दुरुपयोग के पीड़ितों की आवश्यकता और सुरक्षा की पहचान करने में योगदान दिया है। अपराध के पीड़ितों के लिए संयुक्त राष्ट्र न्याय घोषणा और पीड़ित-समर्थक न्यायिक घोषणाओं का प्रभाव बाद की विधायी और कार्यकारी पहलों में दिखाई देता है। भारत के विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में न्याय वितरण प्रणाली के लिए पीड़ित उन्मुख दृष्टिकोण की आवश्यकता को संबोधित किया और सिफारिश की कि अपराध के पीड़ितों की जरूरतों और अधिकारों को अपराध के प्रति समग्र प्रतिक्रिया में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि 'वर्तमान में, पीड़ित अपराध में सबसे अधिक पीड़ित होते हैं और अदालती कार्यवाही में उनकी अधिक भूमिका नहीं होती है। उन्हें कुछ अधिकार और मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि आपराधिक न्याय प्रणाली में कोई विकृति न हो।' वर्ष 2003 में, मलीमठ समिति ने 'आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार' पर अपनी रिपोर्ट में आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न चरणों में अपराध पीड़ितों की भागीदारी पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया है। समिति ने अपराध पीड़ितों को मुआवजा देने के सिद्धांत के विस्तार पर भी विचार किया। अपराध पीड़ितों की भूमिका का विस्तार करने वाले दंड प्रक्रिया संहिता में बाद के संशोधनों को मलीमठ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों की श्रृंखला में देखा जा सकता है।

परिचय-प्राचीन हिंदू कानून में, मुआवजा देना एक शाही अधिकार माना जाता था। हाल के वर्षों में पीड़ितों के अधिकारों के बारे में वैश्विक जागरूकता आई है, जो कानून निर्माताओं द्वारा उपेक्षित रहते हैं। अपराध के अध्ययन में सबसे उपेक्षित विषयों में से एक इसके पीड़ित हैं। अपराध का शिकार वह व्यक्ति होता है जिसे अपराध के परिणामस्वरूप कोई नुकसान या चोट पहुँचती है। हमारी वर्तमान न्यायिक प्रणाली में जहाँ किसी मामले का फैसला करने में कई साल लग जाते हैं, पीड़ित व्यक्ति लगभग अपना पूरा जीवन न्याय की प्रतीक्षा में बिता देता है।पीड़ित को पर्याप्त मुआवजा दिए बिना न्याय अधूरा रहता है। पीड़ित मुआवजा योजना कहीं न कहीं जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत के अध्ययन पर प्रकाश डालती है, जो 'अधिकतम संख्या को अधिकतम सुख' के सिद्धांत पर आधारित है। हालांकि 19वीं सदी में इंग्लैंड में बेंथम ने खुद ही पुनर्स्थापनात्मक न्याय की अवधारणा प्राप्त की थी।

पीड़ितों के लिए मुआवजा क्यों जरूरी है-आज के समय में आपराधिक मामले अभियुक्त और राज्य के बीच एक प्रतियोगिता बनते जा रहे हैं। राज्य और अभियुक्त के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पीड़ितों की दुर्दशा को अक्सर भुला दिया जाता है। अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है, उसे सजा दी जाती है या दोषमुक्त कर दिया जाता है या कुछ स्थितियों में परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता है, हालाँकि अदालत में उसे दोषी पाया जाता है। लेकिन पीड़ित पीड़ित ही रहता है। इसलिए, अपराधी को सजा देने के अलावा भी कुछ और करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली की जरूरत है।जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो पीड़ित न्याय की तलाश करता है। इसे दो तरीकों से मांगा जा सकता है: सिर्फ अपराधी को सजा देकर,अपराधी को सजा देकर और पीड़ित को मुआवजा देकर।इसलिए, न्याय तभी पूरा होता है जब पीड़ित को भी मुआवजा मिले। पीड़ित को पूरी मानसिक संतुष्टि देने के लिए, उसे मुआवजे के रूप में कुछ राहत देना बेहद जरूरी है।

पीड़ितों के अधिकारों का प्रयोग - कानून किस ष्पीड़ितष को किसी विशेष अधिकार का हकदार मानता है, यह संघीय, राज्य या जनजातीय संहिता द्वारा परिभाषित किया जाता है। कुछ अधिकार क्षेत्रों में, बुनियादी अधिकार केवल गंभीर अपराधों के पीड़ितों को ही दिए जाते हैं, जबकि अन्य में, किसी भी हिंसक अपराध के पीड़ित, चाहे वह गंभीर अपराध हो या दुष्कर्म, ऐसे अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। कई अधिकार क्षेत्र गंभीर किशोर अपराधों के पीड़ितों को भी अधिकार प्रदान करते हैं, और पीड़ितों के अधिकारों को हत्या के शिकार के जीवित परिवार के सदस्यों, या नाबालिग, विकलांग या अक्षम पीड़ित के माता-पिता, अभिभावक या अन्य रिश्तेदारों तक बढ़ाते

हैं। कुछ राज्यों में, पीड़ित का कानूनी प्रतिनिधि या पीड़ित द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति पीड़ित की ओर से अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।अपराध पीड़ितों के लिए सामान्य अधिकारों के साथ-साथ, कई न्यायक्षेत्रों ने विशिष्ट जरूरतों वाले अपराध पीड़ितों के कुछ समूहों के लिए विशेष अधिकार बनाए हैं। इनमें यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, पीछा करने या मानव तस्करी के शिकार, या बुजुर्ग, छोटे बच्चे या विकलांग पीड़ित शामिल हैं।

पीड़ित आंदोलन की क्रांति- 20वीं सदी में, विशेष रूप से अपराध और सत्ता के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 1985 के बाद, पीड़ितों का दृष्टिकोण एक नए और शक्तिशाली तरीके से उभरा। संयुक्त राष्ट्र घोषणा ने अपराध पीड़ितों की चार प्रमुख आवश्यकताओं को मान्यता दी: न्याय और उचित उपचार तक पहुँच, प्रतिपूर्ति, मुआवजा और सहायता। भारत में पीड़ित मुआवजा प्रावधान देश का सर्वोच्च कानून, भारत का संविधान, पीड़ितों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं करता है। हालाँकि, अनुच्छेद-41 के तहत भाग-IV (DPSP और अनुच्छेद-51। के तहत भाग-V (मौलिक कर्तव्य) राज्य के कर्तव्य को क्रमशः 'विकलांगता के मामलों में और अन्य अवांछनीय अभाव के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार' और 'जीवित प्राणियों के लिए मुआवजा प्राप्त करना और मानवतावाद का विकास करना' सुरक्षित करना निर्धारित करता है। मुआवजे के अधिकार को हमारे संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग माना गया है। विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मुआवजा देना जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है-

1. रुदुल साह बनाम बिहार राज्य (1 अगस्त, 1983)
2. भीम सिंह, विधायक बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (22 नवंबर, 1985)
3. डॉ. जैकब जॉर्ज बनाम केरल राज्य (13 अप्रैल, 1994)
4. पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम बिहार राज्य (19 दिसंबर, 1986)

और भी कई फैसले।मुआवजे के अधिकार को अनुच्छेद- 14 और 39ए के तहत भी अभिन्न अंग माना गया है।आईपीसी, 1860 की धारा- 166बी में पीड़ितों के साथ व्यवहार न करने पर सजा का प्रावधान है।सीआरपीसी, 1973 के तहत मुआवजाधारा-357 न्यायालय को जुर्माना या ऐसी सजा (जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है) लगाने का अधिकार देती है, जिसका जुर्माना उसके विवेक पर निर्भर करता है।जबकि धारा-357(3) न्यायालय को किसी व्यक्ति को हुई हानि या चोट के लिए मुआवजा देने का अधिकार देती है, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ जुर्माना सजा का हिस्सा नहीं है।सीआरपीसी पर154वीं विधि आयोग की रिपोर्ट, 1996 में पीड़ित विज्ञान पर एक पूरा अध्याय समर्पित किया गया था, जिसमें आपराधिक मुकदमों में पीड़ितों के अधिकारों पर बढ़ते जोर पर चर्चा की गई थी।अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बढ़ती चिंता को स्वीकार करता है धारा-357ए को सीआरपीसी (संशोधन) अधिनियम, 2008 (31 दिसंबर 2009 से प्रभावी) द्वारा 'आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार, 2008' पर मलिमथ समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पर डाला गया था। इसमें धारा-2(डब्ल्यूए), धारा-24(8) प्रावधान और धारा-372 प्रावधान भी शामिल किए गए।धारा-357ए में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय करके पीड़ितों या उनके आश्रितों को मुआवजा देने के लिए धन उपलब्ध कराने की योजना तैयार करेगी, जिन्हें नुकसान या चोट पहुंची है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है।यदि ट्रायल कोर्ट को लगता है कि धारा-357 के तहत दिया गया मुआवजा ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है या जहां मामला बरी या डिस्चार्ज में समाप्त होता है और पीड़ित का पुनर्वास किया जाना है, तो अदालत मुआवजे के लिए सिफारिश कर सकती है जब अदालत द्वारा सिफारिश की जाती है, तो जिला सरकार मुआवजे के लिए सिफारिश कर सकती है।

आपराधिक न्याय प्रक्रिया - सामान्य आपराधिक न्याय प्रक्रिया में दर्जनों ऐसी घटनाएँ या कार्यवाहियाँ हैं जिनके लिए कानून के अनुसार नोटिस की आवश्यकता हो सकती है। इनमें आम तौर पर शामिल हैं-

1. अभियुक्त की गिरफ्तारी
2. प्रतिवादी का अभियोग
3. जमानत रिहाई और संबंधित कार्यवाही
4. परीक्षण-पूर्व रिहाई और संबंधित कार्यवाही
5. आरोपों को खारिज करना
6. बातचीत से दलीलें और दलील सौदे का प्रवेश
7. परीक्षण की तारीखें और समय
8. सजा सुनवाई
9. अंतिम वाक्य या निपटान
10. परिवीक्षा या पैरोल की शर्तें
11. परीक्षण के बाद राहत कार्यवाही
12. अपील प्रक्रिया और संबंधित कार्यवाही
13. पैरोल रिहाई और संबंधित कार्यवाही
14. क्षमादण्ड में परिवर्तन और संबंधित कार्यवाही
15. पुनर्निर्धारित कार्यवाही
16. कारावास से अंतिम रिहाई, जिसमें मानसिक संस्थान से रिहाई भी शामिल है तथा
17. अपराधी का भागना और बाद में पुन: पकड़ लिया जाना।

निष्कर्ष - अपराध के पीड़ितों ने दुनिया भर के कानून निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया है। कई देशों ने विशेष रूप से अपराध पीड़ितों की जरूरतों को संबोधित करते हुए कानून बनाए हैं। भारत में, अपराध पीड़ितों की जरूरतों को पहचानने का आंदोलन संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अस्तित्व में आने के बाद शुरू हुआ है। न्यायपालिका ने अपराध के पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रक्रिया में एक अलग हितधारक के रूप में स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने अपराध पीड़ितों को प्रक्रियात्मक अधिकार विकसित करने और प्रदान करने में विधायिका से आगे बढ़कर काम किया है। न्यायपालिका के इस तरह के सक्रिय कदम को विधि आयोग और मलीमठ समिति की विभिन्न सिफारिशों का समर्थन प्राप्त था। हाल ही में, विधायिका ने अपराध पीड़ितों की दुर्दशा को दूर करने के लिए प्रक्रियात्मक आपराधिक कानून में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अपराध की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाना, पीड़ित के वकील को न्यायालय में उपस्थित होने का अवसर देना, पीड़ित को अपील करने का स्वतंत्र अधिकार प्रदान करना, उन मामलों में भी मुआवजा देना जहाँ अभियुक्त का पता नहीं चल पाता या जहाँ अभियुक्त बरी/मुक्त हो जाता है, पीड़ित मुआवजा योजना दंड प्रक्रिया संहिता में हाल के दिनों में हुए कुछ प्रमुख परिवर्तन हैं। अब पीड़ितों को केवल अभियोजन पक्ष के मुखबिर या गवाह के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि वे ऐसे प्रक्रियात्मक

अधिकारों के धारक हैं जो आपराधिक न्याय की मशीनरी को अपने दम पर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी देश को अन्य देशों में लागू किए गए कानूनों की तर्ज पर अपराध के पीड़ितों के लिए एक व्यापक योजना की उम्मीद है जो आपराधिक प्रक्रिया के सभी चरणों में पीड़ित की भागीदारी को मान्यता देते हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:-

1. https://www.legalserviceindia.com/legal/article-6696-victim-compensation-scheme-in-india.htm
2. https://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000020LA/P000841/M010094/ET/1513752841etext.pdf
3. https://www.victimsfirst.gc.ca/abt-apd/cjp.html
4. https://educaloi.qc.ca/en/capsules/compensation-for-victims-of-crime/
5. https://www.allahabadhighcourt.in/event/admin_of_criminal_justice_in_india.html
6. https://www.victimlaw.org/victimlaw/pages/victimsRight.jsp

****